

बारों केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, बारों

मुख्य ऋण योजनाएं

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंक को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने एवं लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करने हेतु कृषि ऋणों के अतिरिक्त व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण अग्रिम करने हेतु सभी प्रकार की योजनाएं लागू की हैं! इन योजनाओं से काश्तकारों के आलावा जिले के आमजन के आर्थिक विकास को बल दिया है! वर्तमान में बैंक निम्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण सुविधा उपलब्ध है:-

अल्पकालीन फसली ऋण

उद्देश्य फसल -, उन्नत खादबीज-, कीनाशक दवाईयों हेतु

पात्रता कृषक के पास अपने नाम की कृषि भूमि हो। -

ऋण सीमा .रु -1.50 लाख अधिकतम

ब्याज दर -7 प्रतिशत समय पर ऋण चुकौती पर) भारत सरकार द्वारा 3% एवं राज्य सरकार द्वारा 4% ब्याज सहायता अनुदान(

दस्तावेज फोटो -, जमाबन्दी, गिरदावरी, सिंचित भूमि का प्रमाण पत्र

मध्यकालीन कृषि ऋण

उद्देश्य ट्रैक्टर -, ट्राली, थ्रेसर व कृषि यंत्र , डेयरी विकास, लघु सिंचाई नया कुआ), कुआं गहरा, बोरवेल, ट्युबेल, फव्वारा सेट, बूंदबूंद सिंचाई-, डीजल व बिजली पम्पसेट लाईनमुरगी (पालन, पशुपालन, प्लांटेशन एवम् होर्टिकल्चर हेतु इकाई लागत अनुसार(

पात्रता कृषक के पास अपने नाम की कृषि भूमि हो। -

ऋण सीमा परियोजना का -75 से 85 प्रतिशत (नाबार्ड की इकाई लागत अनुसार)

ब्याज दर -11 प्रतिशत

दस्तावेज फोटो -, जमाबन्दी, गिरदावरी, भूमि का नक्शा, कोटेशन

कृषक मित्र ऋण योजना

उद्देश्य कार्यक्षेत्र के बड़े एवम् प्रगतिशील कृषको को सहकारी फसली साख से जोड़ना -

पात्रता कृषक के पास न्यूनतम -4 एकड़ काश्त सिंचित भूमि हो

ऋण सीमा -3.50 लाख अधिकतम

ब्याज दर -7 प्रतिशत समय पर ऋण) चुकौती पर नियमानुसार ब्याज में छुट देय(

दस्तावेज फोटो -, जमाबन्दी, गिरदावरी, भूमि का नक्शा, सिंचित भूमि का प्रमाण पत्र

संयुक्त दायित्व समूहों को ऋण योजना

लघुमौखिक पट्टेधारक कृषक जो कि साख से वंचित हैं को संयुक्त दायित्व समूह के/किरायेदार कृषक/सीमान्त कृषक/ अन्तर्गत बैंक साख से जोड़ना।

संयुक्त दायित्व समूह के सदस्य आपसी सहमति से बचत करना।

बैंक द्वारा सदस्य के पास उपलब्ध भूमि पर बोई जाने वाली फसलों के आधार पर सदस्य की ऋण क्षमता का आकलन।

समूह के सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त एवं व्यक्तिगत दायित्व के आधार पर ऋण क्षमता का आकलन।

समूह के सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त एवं व्यक्तिगत दायित्व के आधार पर ऋण प्रपत्रों का निष्पादन।

प्रति व्यक्ति अधिकतम ऋण राशि 50000/- ब्याज दर -12 प्रतिशत

सहकार किसान कल्याण योजना

ऋण के प्रयोजन कृषि यंत्रीकरण -, सिंचाई साधन, बागवानी विकास, डेयरी विकास
पात्रता – बारां जिले का निवासी हो।, भार रहित स्वयं के स्वामित्व की कृषि भूमि हो।स्वयं काशत करता हो।
ऋण सीमा – असिंचित/ सिंचित भूमिअधिकतम- 10.00 लाख रू, टर्म ऋण और अधिकतम रू-अथवा केवल साख सीमा के रूप में/2.50 लाख एक वर्ष की-
अवधि के लिये।,
ऋण सीमा कृषि भूमि की डीएलसी दर का -70 प्रतिशत तक।
ब्याज दर -11.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर।
ऋण का चुकार अधिकतम अवधि - टर्म ऋण -9 वर्ष, साख सीमा प्रति वर्ष साख सीमा का नवीनीकरण। -
ऋण की सुरक्षा भार रहित कृषि भूमि बैंक के पक्ष में रहन होगी। -, एक सक्षम व्यक्ति की जमानत

सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना

सहकारी समितियों के सदस्यों को अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु किसान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है

स्वयं सहायता समूह ऋण योजना

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीबों के समरूप समूह है जो अपनी आय में से सबकी सहमति से तय की गई छोटी राशियों की बचत के लिये स्वैच्छिक रूप से बनाये जाते हैं तथा इससे समूह की सामान्य निधी निर्मित होती है जिससे सदस्यों को उनकी उत्पादक व आकस्मिक ऋण जरूरतों की पूर्ति के (कार्पस) लिये ऋण दिया जाता है।
उद्देश्य दैनिक जरूरतों को पुरा करने -, काम धन्धा शुरू करने व अन्य व्यवसायिक गतिविधियोंहेतु।
पात्रता -6 माह तक निरन्तर अमानत संग्रहण व नियमित बैठको का आयोजन।
ऋण सीमा बैंक में अमानतों का चार से दस गुना तक। -
ब्याज दर -12 प्रतिशत
दस्तावेज गुप फोटो -, इकरार नामा, ऋण अनुबन्ध इत्यादि।

वेतनभोगी व व्यवसायिओं के लिये ऋण वाहन ऋण-

उद्देश्य कार -, कार व जीप हेतु
पात्रता – वेतनभोगी, स्थाई कर्मचारी, चिकित्सक, इंजिनियर, सी.ए., प्रोफेसर, बिजीनसमेन, बैंक स्टाफ, पेन्सनर, आदि
ऋण सीमा .रू -10 लाख अधिकतम
ब्याज दर -09 प्रतिशत
ऋण अवधि -3 से 7 वर्ष
मार्जिन –15 प्रतिशत
दस्तावेज फोटो -, दो जमानतदार, कोटेशन, ड्राईविंग लाइसेन्स, वेतन प्रमाण पत्र, ITR की प्रति इत्यादि।

पर्सनल लोन

उद्देश्य सभी प्रकार के व्यक्तिगत खर्च हेतु -
पात्रता केन्द्रीय/राज्य -सरकार बैंक इत्यादि के स्थाई कर्मचारी/कम्पनी/ बिजीनसमेन, पैक्स/लैम्पस के स्थाई व्यवस्थापक
ऋण राशि -बैंक स्टाफ हेतु अधिकतम 5.00 लाख या मासिक वेतन का 10 गुणा एवं अन्य हेतु 2.00 लाख या मासिक आय का 8 गुणा जो भी कम हो
ब्याज दर -11 प्रतिशत
ऋण अवधि -5 वर्ष
मार्जिन शुन्य - 0
दस्तावेज फोटो -, उत्तर दिनांकित चैक, दो जमानतदार नियोक्ता का अंडरटेकिंग, ITR की प्रति इत्यादि।

अचल संपत्ति के विरुद्ध ऋण

उद्देश्य - किसी भी आकस्मिक जरूरत के लिए -
पात्रता - कोई भी व्यक्ति/कर्मचारी/व्यवसायी/स्वनियोजित/पैशेवर जिसके पास पिछले तीन वर्षों से आय के सत्यापन योग्य स्रोत है
ब्याज दर - 9.80 प्रतिशत
ऋण राशि -10 लाख अधिकतम
ऋण अवधि -15 वर्ष
सिक्युरिटी ऋण राशि की दुगुनी कोलेटरल सिक्युरिटी आवश्यक -
दस्तावेज फोटो -, पहचान व निवास का प्रमाण पत्र , नोडयुज, बंधक हेतु स्थाई सम्पति , एक जमानतदार, वेतन प्रमाण पत्र , आयकर विवरणी, आयु का प्रमाण पत्र, बैंक खाते की नकल, वेल्युशन रिपोर्ट अन्य पत्रादी आवश्यकतानुसार।

विकलांग विष्वास योजना

निशक्तजनो के लिए अधिकतम रूपया 1.00 लाख ऋण अवधि/3 से 5 वर्ष तक। ब्याज दर -12 प्रतिशत। समाज कल्याण विभाग से 30 प्रतिशत का अनुदान।

जन मंगल आवास ऋण योजना

उद्देश्य मकान क्रय -, निर्माण, प्लॉट क्रय व्यवसायिक भवन तथा मकान में परिवर्तनअन्य संस्थाओं से लिये गये ऋण के चुकारे हेतु।/परिवर्तन हेतु/
पात्रता - वेतन भोगी कर्मचारी/व्यवसायी/विधिक व्यक्ति जो पिछले तीन वर्षों से आयकर निर्धारित है।
ऋण सीमा - अधिकतम रूपये 15 लाख/मरम्मत, नवीनीकरण, परिवर्तन आदि हेतु अधिकतम 2 लाख रूपये
ब्याज दर -09 प्रतिशत
ऋण अवधि -15 वर्ष अधिकतम
मार्जिन -20 से 25 प्रतिशत
ऋण क्षमता - ऋण का पुर्नभुगतान क्षमता आय के 30 प्रतिशत के बराबर तक
सिक्युरिटी - भूखण्ड/भवन के मूल दस्तावेज बंधक
दस्तावेज फोटो -, पहचान व निवास का प्रमाण पत्र , नोडयुज, स्थाई सम्पति के मूल दस्तावेज , वेतन प्रमाण पत्र , आयकर रिटर्न व पेन कार्ड प्रति , निर्माण लागत का तकनीमा, नक्शा तथा एक जमानतदार, निर्माण की स्वीकृति पत्र, बैंक खाते की नकल अन्य पत्रादी आवश्यकतानुसार।

ज्ञान सागर ऋण योजना

उद्देश्य - भारत व विदेश में उच्च तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा के लिए योग्य प्रतिभावन छात्रों को आर्थिक सहयोग हेतु।
पात्रता - छात्र/छात्रा जिनका चयन मेरिट/प्रवेश परीक्षा से हुआ हो।
ऋण राशि अधिकतम रूपया - भारत में शिक्षा हेतु -6.00 लाख, विदेश में शिक्षा हेतु अधिकतम रूपया -10.00 लाख
ब्याज दर -12 प्रतिशत
ऋण अवधि -5 वर्ष
मार्जिन -10 प्रतिशत
दस्तावेज फोटो -, पहचान व निवास का प्रमाण पत्र , नोडयुल, जन्मतिथि प्रमाण, बंधक हेतु स्थाई सम्पति, दो जमानतदार, प्रवेश का प्रमाण पत्र, फीस का एस्टीमेट, वेतन प्रमाण पत्र, बैंक खाते की नकल, शैक्षिक योग्यता की प्रतिया, आयकर रिटर्न असेसमेन्ट आदेश, पेन कार्ड प्रति, नियोक्ता का गारन्टी पत्र अन्य पत्रादी आवश्यकतानुसार।